

उद्योगों के कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र

अभ्यर्थी का फोटोग्राफ जिसे
उद्योग के अधिकृत व्यक्ति
द्वारा प्रमाणित गया हो

1. अभ्यर्थी का नाम:
2. पिता का नाम:
3. जन्मतिथि (प्रमाण स्वरूप अभिलेख संलग्न करें):
4. श्रेणी (सामान्य/अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अ0पि0व0):
5. अभ्यर्थी का गृह जनपद व राज्य:
6. अभ्यर्थी का पत्राचार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर तथा ई0मेल आई0डी0:
7. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता:
(अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता (यदि कोई हो):
9. उद्योग में नियमित रूप से अभ्यर्थी किस पद पर कार्यरत है? (संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतन अथवा मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं):
10. उद्योग/अधिष्ठान का नाम व पूर्ण पता:
(जिसमें अभ्यर्थी कार्यरत है)
11. पहचान पत्र का विवरण(आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/
ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न करें):
12. उद्योग/अधिष्ठान का फोन नं0 व ई0मेल आई0डी0:
(जिसमें अभ्यर्थी कार्यरत है)
13. आई0टी0आई0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अग्रसारित करने के लिए उद्योग के अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं ई0मेल आई0डी0:
14. क्या उद्योग कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं? यदि है तो पंजीकरण संख्या व तिथि:
15. अभ्यर्थी के पूर्णकालिक रूप से उद्योग में कार्य करने की अवधि (वर्ष, माह में)
(न्यूनतम 02 वर्ष की कार्य अवधि/अनुभव आवश्यक है):
16. व्यवसाय व संस्थान का नाम जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश चाहता है (आई0टी0आई0 में संचालित व्यवसायों के नाम, प्रशिक्षण अवधि, प्रवेश अर्हता आदि का विवरण विभाग की वेबसाइट www.vppup.in अथवा www.dget.nic.in पर देखा जा सकता है):
17. क्या अभ्यर्थी को एन0सी0वी0टी0 के अन्तर्गत प्रवेश न मिल पाने की स्थिति में एस0सी0वी0टी0 के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना स्वीकार्य है?:

नोट- अभ्यर्थी को व्यवसाय में प्रवेश, प्रशिक्षण एवं परीक्षा हेतु शासनादेश/संस्थान के अनुसार निर्धारित शुल्क देना होगा।

अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नकों का विवरण-

उद्योग के अधिकृत व्यक्ति का नाम,
हस्ताक्षर व दिनांक (मोहर सहित)